दिनांक १३-७-१९९० को ५ बजे अपराह्न में हुई बिहार राज्य खादी ग्रा. बोर्ड की ३३४ वीं साधारण बैठक की कार्यवाही :—

सदस्यों की उपस्थिति :—

१. [illegible signature]
२. अकुसिंह (ए. के. सिंह) प्रभारी
३. [illegible signature]
४. [illegible signature]
५. मथुरा प्रसाद सिंह
६. [illegible signature]
७.
८.
९.
१०.
११.

विशेष आमंत्रण पर उपस्थिति

१. वासुदेव [illegible], निदेशक, ख. ग्रा. आयोग, पटना
२. [illegible signature]

कार्यवाही :—

१. गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि करना :—	गत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि की गई।
२. खादी एवं विभिन्न ग्रामोद्योगों के वित्तीय वर्ष १९९०-९१ के संशोधित एवं वर्ष १९९१-९२ के प्रस्तावित बजट की माँग की स्वीकृति देना :—	उल्लेख में अंकित खादी एवं विभिन्न ग्रामोद्योगों के वित्तीय वर्ष १९९०-९१ के लिए संशोधित एवं वर्ष १९९१-९२ के लिए प्रस्तावित बजट की स्वीकृति दी गई तथा स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित निर्णय लिया गया। १. चूंकि मधुमक्खी पालन उद्योग ग्रामीण उद्योगों में एक महत्वपूर्ण ही उपयोगी उद्योग है अतः इस

उद्योग के विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसके कार्यान्वयन के लिए एक्शन प्रोग्राम तैयार किया जाए तथा इसका विस्तृत प्रतिवेदन बोर्ड की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त इस उद्योग को बिहार में सघन रूप से विकसित करने तथा आवश्यक सहायता प्राप्त करने हेतु खादी कमीशन, बम्बई से इस बजट पर चर्चा में भी विचार विमर्श किया जाए।

2. अखाद्य तेल एवं साबुन उद्योग की उपयोगिता को एवं इसके विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को विकास त्वरित गति से करने हेतु एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उसे बोर्ड की आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त इस उद्योग में बोर्ड द्वारा वित्त पोषित इकाइयों में से जिनकी इकाई मृत प्रायः हो चुकी है उन इकाइयों को पुर्नजीवित करने सम्बंधी मामलों का अध्ययन किया जाए एवं यथा संभव इन इकाइयों को पुर्नजीवित करने का प्रयास किया जाये। इसके अतिरिक्त इस उद्योग का विकास सघन रूप से करने हेतु बिहार राज्य केमिकल कारपोरेशन से सम्पर्क स्थापित किया जाए तथा बिहार राज्य लघु उद्योग निगम की देखरेख में हजारीबाग में लघु उद्योग सेवा द्वारा संचालित साबुन इकाई के कार्यकलाप का भी अध्ययन किया जाए।

3. लोहार गिरी/बढ़ईगिरी उद्योग के विकास की सम्भावनाओं पर गहन रूप से विचार करते हुए बोर्ड द्वारा इस उद्योग अन्तर्गत विभ पोषित इकाईयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की व्यवस्था करने तथा इस उद्योग के विकास को त्वरित गति से प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के कृषि विभाग से विचार विमर्श करते हुए तदनुसार एक कार्यक्रम बनाकर उसे बोर्ड के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।

4. रेशा उद्योग में कार्यरत बिहार राज्य की इकाइयों द्वारा उत्पादित बिके जाने वाले वस्तुओं में जितने प्रकार के सामान तेजी से बिकनेवाले हैं उन वस्तुओं के विकास की सम्भावना, कच्चा माल की उपलब्धता एवं इसके उत्पादन एवं बिक्री के लिए उपयुक्त क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर बोर्ड की आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।

5. फल संरक्षण उद्योग के विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग के विकास को गतिशील तथा अधिक प्रभावी बनाने हेतु उपर्युक्त उद्योगों के अनुरूप ही एक समीक्षात्मक एवं विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर उसे बोर्ड की आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।

6. बोर्ड के सभी जिला कार्यालयों में लोन लेजर को हर हालत में

अद्यतन कराया जाए एवं सम्बंधित जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए कि उनके जिला में संधारित लोन लेजर अद्यतन कर दिया गया है, इसमें सभी सूचनाएं अंकित कर दी गई है, इसकी मिलानी बोर्ड मुख्यालय से की जा चुकी है तथा खादी कमीशन की किसी राशि का प्रत्यावर्तन उनके जिला में नहीं किया गया है।

3 खादी योजनान्तर्गत खादी कमीशन से प्राप्त ऋण की राशि के विरुद्ध दिनांक 31-3-25 को बोर्ड के पास अवशेष ऋण की राशि की सम्पुष्टि करना:—

संलेख में अंकित खादी योजनान्तर्गत खादी कमीशन से प्राप्त ऋण की राशि के विरुद्ध दिनांक 31-3-25 को बोर्ड के पास अवशेष ऋण की राशि की सम्पुष्टि की गई।

6. विभिन्न ग्रामोद्योगों के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग कमीशन से प्राप्त ऋण की राशि के विरुद्ध दिनांक 31-3-25 को बोर्ड के पास अवशेष ऋण की राशि की सम्पुष्टि करना:-

संलेख में अंकित विभिन्न ग्रामोद्योगों के योजनान्तर्गत खादी कमीशन से प्राप्त ऋण की राशि के विरुद्ध दिनांक 31-3-25 को बोर्ड के पास अवशेष ऋण की राशि की सम्पुष्टि की गई।

अन्त में अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बोर्ड की बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष।

[illegible] आयुक्त 11/0

दिनांक ६-१०-१९९० को ३.३० बजे अपराह्न में हुई बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की ३३५वीं साधारण बैठक की कार्यवाही :-

सदस्यों की उपस्थिति :-

१. [illegible] ६/१०/९०
२. अशोक कुमार सिंह – [illegible]
३. डी० एन० पाठक – [illegible]
४. मथुरा प्रसाद सिंह
५. प्रवीण कुमार [illegible]
६. [illegible]
७. [illegible]
८.
९.
१०.
११.

विशेष आमंत्रण पर उपस्थिति

१. वासुदेव [illegible] ६/१०/९०
२. बी० एन० अग्रवाल – [illegible] ६/१०/९०
३. के० [illegible]